



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052021-227247
CG-DL-E-29052021-227247

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1896]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2021/ज्येष्ठ 7, 1943

No. 1896]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2021/JYAISTHA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2021

का.आ. 2040(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में तदनुरूप प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार उक्त सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (2)	चैनेज (3)
नया रारा-327 विस्तार	गलगलिया-भदूरगंज-अररिया (बिहार राज्य में)	चैनेज 0.000 किमी से चैनेज 93.983 किमी

[फा. सं. एनएच-14013/9/2021-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2021

S.O. 2040(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Table

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage (3)
New NH-327 Extension	Galgolia- Bhadurganj- Araria (In the State of Bihar)	Ch. 00.000 km to Ch. 93.983 km

[F. No. NH-14013/9/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2021

का.आ. 2041(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकार द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
“4.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2सी, सं. 19 [किमी. 143.200 से किमी. 207.200 (छपरा-हाजीपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 28बी, सं. 30ए, सं. 80 [(किमी. 1.430 से किमी. 190.000 (मोकामा-मुंगेर-मिर्जाचौकी) तक खंड को छोड़कर], सं. 81, सं. 82 [किमी. 95.000 से किमी. 149.020 (बिहारशरीफ –बड़बिगहा-मोकामा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 98 [बिहार राज्य में प्रस्तावित हरिहरगंज बाइपास के हिस्से को छोड़कर], सं. 99, सं. 101, सं. 103, सं. 104, सं. 105, सं. 106, सं. 110 नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227जे, नया राष्ट्रीय	बिहार राज्य सरकार”।

राजमार्ग संख्या 227एल, नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333 [रारा-33 (नई सं.) पर बरियारपुर से शुरू होने वाला और खडगपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई, चकाई को जोड़ने वाला राजमार्ग], नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327 विस्तार [चैनेज 00.000 किमी. से चैनेज 93.983 किमी. (गलगलिया-भादुरगंज-अररिया खंड) को छोड़कर], नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 131ए [पश्चिम बंगाल राज्य में मालदा से शुरू होकर रतुआ और देबीपुर को जोड़ने वाला राजमार्ग, रारा-31 पर अमराबाद, मनिहारी, कटिहार को जोड़ने वाला और रारा-27 (नई सं.) पूर्णिया में समाप्त होने वाला राजमार्ग], नया रारा सं. 120, नया रारा सं.122ए, नया रारा सं.122बी, नया रारा सं. 131बी, नया रारा सं. 133, नया रारा सं. 133ई, नया रारा सं. 219, नया रारा सं. 227ए, नया रारा सं. 227एफ, नया रारा सं. 319ए, नया रारा सं. 322 (मुश्रीघरारी के पास रारा-122 के साथ जंक्शन से बेला नवादा के पास रारा-27 के साथ जंक्शन तक विस्तारित हिस्सा), नया रारा सं. 327ए, नया रारा सं. 327एडी, नया रारा सं.333ए, नया रारा सं. 333सी, 527ए, नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 527ई, नया रारा सं. 727ए और नया रारा सं.727एए के उतने भाग जो बिहार राज्य में अवस्थित हैं।	
--	--

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1585 (अ), 13 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/9/2021-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2021

S.O. 2041(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
"4"	So much of National Highways No.2C, No. 19 [excluding from Km.143.200 to Km.207.200 (Chhapara-Hajipur)], No. 28B, No.30A, No. 80 [excluding from km.1.430 to km.190.000 (Mokama-Munger-Mirzachowki section)], No.81, No.82 [excluding from Km. 95.000 to Km. 149.020 (Biharsharif-Barbigha-Mokama section)], No. 98 [excluding portion of proposed Hariharganj bypass in the state of Bihar], No. 99, No. 101, No. 103, No. 104, No. 105, No. 106, No. 110, new National Highway number 227J, new National Highway number 227L, new National Highway number 333 [the highway starting from Bariyarpur on NH-33 (new number) connecting Kharagpur, Laxmipur, Jamui, Chakai], new National Highway number 327 Extension [excluding from Ch. 00.000 km to Ch. 93.983 km (Galgalia- Bhadurganj- Araria section)], new National Highway number 131A [the Highway starting from Malda, connecting Ratua and Debipur in the State of West Bengal, connecting Amdabad, Manihari, Katihar on NH-31 and terminating at Purnia on NH-27 (new number)], new NH No. 120, new NH No. 122A, new NH No. 122B, new NH No 131B, new NH No. 133, new NH No 133E, new NH No. 219, new NH No. 227A, new NH No. 227F, new NH No. 319A, new NH No. 322 (Extended part	State Government of Bihar"

from junction with NH-122 near Mushrigharari to junction with NH-27 near Bela Nawada) , new NH No. 327A, new NH No. 327AD, new NH No. 333A, new NH No 333C new NH No. 527A, new National Highway number 527E, new NH No. 727A and new NH No. 727AA as are situated within the State of Bihar.	
---	--

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1585 (E), dated the 13th April, 2021.

[F. No. NH-14013/9/2021-P&M]

RAJESH GUPTA, Director